न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2016/00404/225

1. श्रीमती गोमती पत्नि स्व0 भागचन्द, जाति रावत, निवासी गनाहेड़ा, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बीरम पुत्र माना, जाति रावत, निवासी गनाहेड़ा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 2.7.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 184/2013.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 18.12.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 2.7.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम गनाहेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 1855 रकबा 0.06 है0, 1856 रकबा 0.06 है0, 1857 रकबा 0.08 है0 (मिलान क्षेत्रफल अनुसार 0.07 है0) व खसरा नंबर 1858 रकबा 0.07 है0 किस्म चाही भूमियां वादी/रेस्पो0 संख्या 1 तथा प्रतिवादिया/अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है । उक्त आराजियात में निहित महेन्द्र पुत्र माना व झूमी पत्नि माना द्वारा अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 14.6.2010 को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के हक में निष्पादित कर देने से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का कुल 1/2 हिस्सा निहित हो गया तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट का निहित है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त कब्जे काश्त में दखलदांजी व बाधा उत्पन्न करती है तथा मौके व रिकार्ड पर परिवर्तन करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 2.7.2016 को रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित कर दिये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली दिनांक 2.7.2016 को कैम्प कोर्ट गनाहेड़ा में रखी गई लेकिन अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलांट की पीठ पीछे आदेश पारित करते हुए अपीलांट खातेदार को ही पाबंद कर दिया । अधी0न्याया0 द्वारा सूक्ष्म निर्णय पारित किया गया है जिसमें धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के मुख्य घटक यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धांतों पर कोई विवेचन नहीं किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है । अपीलांट रिकार्ड अनुसार 1/2 हिस्से की सहखातेदार है एवं भाई बंटवारे के अनुसार संपूर्ण आराजियात पर काबिज काश्त चली आ रही है । यदि रिकार्ड के आधार पर भी निर्णय पारित किया जाता तो भी रिकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कतई जारी नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 29.5.2014 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे बहस नहीं हो पाई एवं दिनांक 2.7.2016 को भी राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया लेकिन राज्य सरकार का जवाब बंद नहीं कर सीधे ही निर्णय पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अपीलांट वादग्रस्त आराजियात की रिकार्डेड सहखातेदार है जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । रेस्पो0 द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया गया था कि अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के कब्जे काश्त में दखल किया गया हो अथवा उसे बेदखल करने का प्रयास किया गया हो अथवा भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने का प्रयास किया गया हो, इसके अभाव में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता था। न्याय आपके द्वार में निर्ण पारित करने पर लोक अदालत का पूर्ण गठन अध्यक्ष एवं दो सदस्य होने पर पूर्ण होता है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में पारित निर्णय मात्र अध्यक्ष लोक अदालत द्वारा पारित किया गया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है । वादवर्णित भूमि में महेन्द्र पुत्र माना ने अपना हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 बीरम पुत्र माना के हक में हक त्याग कर दिया जिसका नामांतकरण संख्या 967 दिनांक 11.9.2007 को रेस्पो0 संख्या 1 के नाम स्वीकार किया जाकर जमाबंदी में अंकन हो गया है एवं झूमी पत्नि माना ने भी अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 14.6.2010 को रेस्पो0 संख्या 1 के हक में निष्पादित कर दिया है जिससे रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा एवं अपीलांट का 1/2 हिस्सा है । अपीलांट अनावश्यक रूप से रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से में बाधा उत्पन्न करते है तथा आये दिन लड़ाई झगड़ा करते है तथा विवादित भूमि का बिना विभाजन कराये बेचान करने तथा भूमि पर निर्माण करने पर आमादा होने से अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को वाद के

निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया है कि विवादित आराजियात में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी/अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित है जिस पर पक्ष्झकारान का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी विवादित आराजी को बंटवारा से पूर्व विवादित आराजियात में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 के कब्जे काश्त में प्रतिवादी/अपीलांट दखलदांजी व बाधा उत्पन्न करती है तथा मौके व रिकार्ड में परिवर्तन करने पर आमादा है । अतः वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया है जो विचाराधीन है। बंटवारे की डिक्री पारित किये जाने से पूर्व यदि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजियात के विशेष हिस्से का बेचान, हस्तातंरण कर दिया जाता है अथवा निर्माण कार्य किया जाता है तो पक्षकारान के मध्य ओर अधिक वाद बाहुल्यता बढने की संभावना है । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद के निर्णय तक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिसमें हमे कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील, अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.7.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर